CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

(A State Government Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance with the provisions under section 61, 62 and 86(1) of the Electricity Act, 2003, and the various provisions under the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi Year Tariff Principle and Methodology and Procedure for determination of expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2025, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) has filed a petition for approval of Capital Investment Plan for control period from FY 2026 -27 to FY 2029-30 amounting to Rs. 15367.95 Crores before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. This petition has registered as Petition No. 06 of 2026.

Copy of the petition is available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, Shanti Nagar, Raipur and the office of the Executive Director (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur which can be obtained on any working day on payment of Rs.100/- and may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/. Copy of petition are also available at website www.cserc.gov.in.

Persons intending to file objections/suggestions relating to the above petition may send objections/suggestions directly to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, Shanti Nagar, Raipur, e-mail id cserc.sec.cg@nic.in and/or Executive Director (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Executive Director (PC&RA)
CSPTCL, Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

<u>आम सूचना</u>

विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 61, 62 एवं 86(1) एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2025, के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) द्वारा नियंत्रण वर्ष 2026–27 से वर्ष 2029–30 हेतु पूंजी निवेश योजना के अनुमोदन हेतु याचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 06/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

CSPTCL द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका में पूंजी निवेश योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के लिए कुल रू.15367.95 करोड़ की कार्ययोजना के अनुमोदन प्रस्तावित है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या.,रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हे रूपये 100/–के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रूपये 50/– के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालय से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना एवं याचिका आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने आपत्तियां/सुझाव, निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन–492001, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in एवं/या कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य. वि.पारे.कं.मर्या., विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, पिन–492013 के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु स्थान, दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारे.कं.मर्या.रायपुर